

प्रेषक,

अनिल कुमार-XI
लघुवाद न्यायाधीश
कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय,
कानपुर नगर।

विषय:- वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि वर्ष 2022-2023 में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के संबंध में प्रत्यावेदन -

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि के **रिमार्क कॉलम 01(a)** में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय सहारनपुर श्रीमती बबीता रानी द्वारा अंकित किया गया है कि "Several oral and written complaints regarding integrity received. 2. Written complaints along with affidavit referred to Hon'ble High Court vide: (i) D.O. No. 119/2021 dated- 14.09.2021 (Annexure 01) (ii) D.O. No. 125/2021 dated 29.11.2021 (Annexure-02) (iii) DO. No. C.V/1700A/2022 dated-23.12.2022 of Hon'ble High Court (Annexure- 03) (iv) D.O No CV/1700B/2022 dated-23.12.2022 of Hon'ble High Court (Annexure-04) (v) D.O No CV/435/2023 dated 02 03 2023 of Hon'ble High Court (Annexure-05) (vi) The complaint with affidavit of Shri Dhanayajaya Kumar in case titled State Vs Ganshyam etc. Crime No. 531/2022 U/s 420,406,467,468,471,504,506 IPC, referred to Hon'ble High Court vide Letter No 385/XV-2023 dated 28.02.2023. (Annexure-06) (vii) Complaint made by Shri Anurag Bansal in Crime No. 250/2020, U/s 420,406,467,468,471,120B IPC. (Annexure-07) 3. As per list enclosed with assessment, the officer has decided 41 contested criminal cases, but all are shown in acquittal. Despite holding the court of CJM continuously for more than three years, no contested conviction was recorded throughout the year. Conviction rate found zero. 4. General reputation is not positive. 5. Invariably, several orders of discharge of accused (Annexure-08) and refusal of remand (Annexure-09) has been passed arbitrarily and not in balanced approach, adopting the mini trial method favoring the accused, by the officer. 6. Integrity doubtful."

उक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन है कि -:

A- उक्त कॉलम के साथ सलग्नक तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के DO सं० 119/2021 दिनांकित 14.09.2021 जो जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र सं० 3339/2021 के संबंध में तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी से आख्या आहूत की गयी थी, जिसकी विस्तृत आख्या प्रार्थी द्वारा तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित की गयी थी **(एनेक्जर सं०-1)** जो तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के वैयक्तिक सचिव/सहायक को पत्र सं० 1516/XV-2021(Saharanpur) के द्वारा प्रेषित की गयी।

उक्त मामले में किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शिकायती प्रार्थनापत्र किसी भी स्तर पर प्रेषित नहीं किया गया है।

B- प्रार्थी द्वारा उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में पूर्णतः विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया गया था तथा प्रतिभू प्रपत्र स्वीकृत किये गये थे।

C- उक्त जमानत आदेश आज की तिथि तक न तो तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निरस्त किया गया और न ही वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त जमानत आदेश व प्रतिभू प्रपत्र स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त किया गया है। यह भी अनुरोध करना है कि उक्त जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र भी संबंधित द्वारा बल न दिये जाने के कारण तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रकीर्ण जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र सं० 3339/2021 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2022 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। **(एनेक्जर सं०- 2)**

D- यह भी अनुरोध करना है कि उक्त जमानत आदेश के संबंध में मामले के वादी अथवा किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शिकायतीपत्र किसी भी स्तर पर प्रेषित नहीं किया गया। उक्त जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र समान्य प्रक्रिया के तहत तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो बल न दिये जाने कारण निरस्त हो चुका है।

E- इसी प्रकार तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 125/2021 के संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मु०अ०सं० 476/2021 में प्रार्थी द्वारा पारित जमानत आदेश व प्रतिभू प्रपत्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में स्वप्रेरणा से आख्या आहूत की गयी थी जिसकी विस्तृत आख्या प्रार्थी के पत्र दिनांकित 16.12.2021 के द्वारा तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित की जा चुकी है (एनेक्जर सं० 3) ।

F- उपरोक्त आदेश पूर्णतः विधि सम्मत तरीके से पारित किये गये थे तथा उक्त आदेशों का कोई संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 से नहीं है और न ही सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय का उक्त DO वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित है। गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 के संबंध में पूर्ववर्ती सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि गत वर्ष ही दी जा चुकी है, जो माननीय उच्च न्यायालय से भी पुष्ट हो चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल तथ्य अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये गये जिसमें किसी के भी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी।

G- स्पष्ट है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिक त्रुटि प्रार्थी की ओर से कारित नहीं की गयी थी। सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित पत्र के क्रम में भी किसी तथ्य की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि उक्त का कोई संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि से नहीं है तथा उक्त के आधार पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है।

माननीय निबंधक महोदय (जे) (गोपनीय) के अर्द्धशासकीय पत्र सं० CB 1700A/2022 दिनांकित 23.12.2022 व अर्द्धशासकीय पत्र सं० 1700B/ के संबंध में भी यह स्पष्ट करना है कि उक्त दोनो ही अर्द्धशासकीय पत्रों का संबंध एक ही शिकायतकर्ता से है तथा दोनो ही अर्द्धशासकीय पत्र के साथ एक ही शिकायत का उल्लेख है।

A- उक्त दोनो ही अर्द्धशासकीय पत्रों का संबंध शिकायतकर्ता मुख्तार अहमद एडवोकेट के शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 29.06.2022 से संबंधित है। माननीय महोदय से निवेदन करना है कि उक्त अधिवक्ता शिकायती प्रवृष्टि का व्यक्ति रहा है जो आदतन शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अधिकारियों के विरुद्ध दबाव बनाने का प्रयास करता है।

B- माननीय निबंधक महोदय (जे) (गोपनीय) के उक्त पत्रों के क्रम में तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी से आख्या आहूत की गयी थी जिनके संबंध में प्रार्थी द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए समस्त वास्तविक तथ्यों का उल्लेख किया जा चुका है (एनेक्जर सं० -4 एवं 5)। प्रार्थी की उक्त आख्या सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित की जा चुकी है। सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के स्तर से उक्त के संबंध में क्या टिप्पणी अंकित की गयी उसकी कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से भी उक्त के संबंध में किसी प्रकार से कोई कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई निर्देश प्रार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुआ है।

B- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र से संबंधित शिकायत के संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के पत्र सं० 1143/XV/2022(सहारनपुर) दिनांकित 26.07.2022 व पत्र सं० 1142 / XV/ 2022 (सहारनपुर) दिनांकित 26.07.2022 जो वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा एनेक्जर की गयी है, के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित पत्रों में भी तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई है।

C- उक्त शिकायतीपत्र जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आख्या प्राप्त की जा चुकी है तथा शिकायती प्रार्थनापत्र में वर्णित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार एवं वास्तविकता से परे होने के कारण ही कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

सम्मानित जनपद न्यायालय महोदय द्वारा उक्त कॉलम के साथ सलंगन DO सं० 435/2023 दिनांकित 02.08.2023 जो शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार जैन से संबंधित है, के संबंध में सादर अवगत करना है कि-

A- उक्त शिकायतकर्ता संबंधित थाने पर भूमाफिया की श्रेणी में नामित है। शिकायतकर्ता द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के पद पर रहते हुए इस शिकायतकर्ता व इसके परिजनों के विरुद्ध दो भिन्न- भिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग तिथियों पर दो प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किये गये थे। एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता प्रार्थनापत्र सं० 88/2022 सी०एन०आर० सं० UPSP040026532022 किशोर शर्मा बनाम शंकी कम्बोज उर्फ विश आदि में संबंधित थाने से विस्तृत आख्या प्राप्त हुई थी, जिसके प्रकाश में प्रार्थी के आदेश दिनांकित 17.02.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता का पुत्र व शिकायतकर्ता आदि भी अभियुक्त के रूप में आरोपित थे। उक्त आदेश के विरुद्ध संस्थित पुनरीक्षण भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश द्वारा निरस्त किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का आदेश पूर्णतः विधि सम्मत था। उक्त आदेश शिकायतकर्ता के पक्ष में हुआ था तब शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं थी।

B- इसी शिकायतकर्ता के विरुद्ध द्वितीय मामले में थाना हाजा से कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। शिकायतकर्ता जो कि उक्त मामले में आरोपित के रूप में था, के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी किन्तु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में आरोपित को सुने जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध गठित होना दर्शित था, जिसके प्रकाश में उक्त प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं० 40/2022 सी०एन०आर० सं० UPSP040011152022 अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश दिनांकित 02.04.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के पुत्र आदि के विरुद्ध आरोप पत्र भी प्राप्त हुआ, जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.06.2022 के द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा शिकायतकर्ता के पुत्र को थाना हाजा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया गया।

C- शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थी से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया और अपने पुत्र की जमानत स्वीकार करवाने का दबाव बनाने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता की कथित पुत्री जिसने अपना नाम आस्था जैन बताया तथा स्वयं को छत्तीसगढ़ में तैनात न्यायिक अधिकारी बताया था। जिसके द्वारा अपने मोबाइल नं० 9302893768 से प्रार्थी के तत्कालीन

सी०यू०जी० नं० 9412780268 पर दिनांक 03.05.2022 को समय 3:29 PM पर लगभग 7 मिनट 11 सेकण्ड दिनांक 04.05.2022 को समय 10:36 AM पर एक सेकण्ड की मिस्ड काल, दिनांक 04.05.2022 को समय 10:36AM पर 17 सेकण्ड की मिस्ड काल व उक्त तिथि पर ही समय 10:38 AM पर 7 मिनट 36 सेकण्ड की वार्ता की गयी जिसमें इस कथित महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने परिजन को जमानत देने हेतु प्रार्थना की गयी। जब प्रार्थी को उक्त महिला की वार्तायें न्यायिक अधिकारी की गरिमा के प्रतिकूल प्रतीत हुई तब प्रार्थी द्वारा उक्त वार्तालाप में बाद के चार मिनट को रिकार्ड किया गया, जिसमें उक्त कथित न्यायिक अधिकारी आस्था जैन द्वारा बाद में सौरी बोला गया, जिसकी रिकॉर्डिंग प्रार्थी के पास सुरक्षित है, जो शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी की आख्या दिनांकित 23.03.2023 (एनेक्जर सं० 6) के साथ सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें समस्त वास्तविक तथ्यों का विस्तार से उल्लेख है।

D- प्रार्थी द्वारा उक्त की जमानत को निरस्त किया गया तथा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० जिसमें यह शिकायतकर्ता व उसके परिजन व अन्य अनेक लोग अभियुक्त के रूप में आरोपित थे जिसमें आरोपपत्र भी प्राप्त हो गया था, जिससे यह विशुद्ध हो गया तथा इसके द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। उक्त मामले में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक आदेश पारित नहीं किया गया है और ना ही प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी भी प्रवर न्यायालय द्वारा खंडित किया गया है।

E- उक्त शिकायतकर्ता द्वारा पुनः अद्योहस्ताक्षरी के तत्कालीन न्यायालय के लिपिक श्री अनुज कुमार जैन के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 13.04.2023 के द्वारा लिपिक श्री अनुज कुमार जैन से स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके क्रम में श्री अनुज कुमार जैन ने अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 26.04.2023 के साथ शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन द्वारा अपने पिता के शिकायती प्रार्थनापत्र के संबंध में श्री अनुज कुमार जैन को अपने हस्तलेख में दी गयी तहरीर जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया कि मेरे पिता द्वारा सभी प्रार्थनापत्रों को निरस्त करने की कृपा करें (एनेक्जर सं०-7) स्पष्ट है कि उक्त मामले का शिकायतकर्ता शिकायती प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका आपराधिक इतिहास भी है जो अवैधानिक रूप से अपने पक्ष में आदेश पारित कराने का प्रयास करता है। प्रार्थी द्वारा कोई भी अवैधानिक आदेश पारित नहीं किया गया और न ही उक्त से संबंधित मामले में प्रार्थी का कोई आदेश प्रवर न्यायालय द्वारा खंडित किया गया है।

रिमार्क के उक्त कॉलम के साथ संलग्न सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय सहारनपुर के पत्र सं० 385/XV-2023 (सहारनपुर) दिनांकित 28.10.2023 जो शिकायतकर्ता धनजय कुमार के शिकायती प्रार्थनापत्र के क्रम में प्रार्थी की विस्तृत आख्या दिनांकित 20.12.2022 जो उक्त एनेक्जर के साथ संलग्न है, में प्रार्थी द्वारा उक्त मामले से संबंधित वास्तविक तथ्यों का उल्लेख किया गया है (एनेक्जर सं०-8)।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि :-

A- शिकायतकर्ता धनजय कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पर पारित प्रार्थी के आदेश दिनांक 22.10.2022 द्वारा संबंधित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 531/ 2020 अंतर्गत धारा 420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता विरुद्ध अभियुक्त घनश्याम दर्ज हुआ था। मूल अभियोग में धारा 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता का कोई उल्लेख नहीं था और न ही अभियोजन कथानक में ऐसा कोई तथ्य था जिसके आधार पर उक्त धाराएं किसी भी प्रकार से बनती हो।

B- उक्त मामले का अभियुक्त दिनांक 10.12.2022 को रिमांड मजिस्ट्रेट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर अभियुक्त की ओर से घोर आपत्ति की गई। तत्कालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिवस के स्थान पर मात्र 2 दिवस का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत किया गया। प्रार्थी दिनांक 08.12.2022 व 09.12.2022 का आकरिमिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर अपने गृह जनपद आगरा गया था तथा दिनांक 10.12.2022 व 11.12.2022 अवकाश के दिन दोपहर तक अद्योहस्ताक्षरी अपने गृह जनपद आगरा में था।

C- अद्योहस्ताक्षरी दिनांक 11 मई रात्रि 9:00 बजे अपने सरकारी आवास सहारनपुर आया, प्रार्थी को प्रश्नगत मामले में अभियुक्त को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अथवा दिनांक 12.12.2022 को उपयुक्त को दो दिवस के रिमांड के पश्चात प्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की किसी भी तरह की कोई जानकारी किसी भी स्रोत से नहीं थी। प्रश्नगत मामले में दिनांक 12.12.2022 को न्यायालय आने के पश्चात डाइस पर बैठने के बाद मामले के वादी/ शिकायतकर्ता द्वारा अपने पैरवीकर्ताओं के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी से संपर्क करने व अपने अनुकूल आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया गया। प्रार्थी द्वारा शिकायतकर्ता के पैरवीकर्ता जिनमें श्री चंद्र शेखर सेठी जो सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक कार्यालय में प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, भी शामिल थे किंतु प्रार्थी द्वारा समस्त पैरवीकर्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया था कि वही आदेश पारित किया जाएगा जो विधि सम्मत होगा।

D- प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा पूर्णतः विधि सम्मत आदेश पारित किया गया।

E- मामले के वादी/शिकायतकर्ता धनजय कुमार के कथित प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी से किसी भी प्रकार का कोई मौखिक अथवा लिखित स्पष्टीकरण / आख्या प्राप्त किए बिना सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश संख्या 348 / 2022 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा उक्त मामले की सम्पूर्ण रिमाण्ड पत्रावली न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय में अंतरित कर दी गई। उक्त अभियुक्त की रिमाण्ड जिन धाराओं में स्वीकृत की गई थी वह अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने वाली धाराएं थी। उक्त मामले के अभियुक्त की जमानत सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 02.02.2023 के द्वारा लगभग पौने 2 माह न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के उपरांत स्वीकृत की गई। जमानत की तिथि तक कथित धाराएं 467,468 भा०दं०सं० आदि न तो समावेशित की गई और ना ही प्रार्थी द्वारा पारित आदेश को विधिक क्षेत्राधिकारिता में निरस्त किया गया। श्री चन्द्र शेखर सेठी अधिकारियों पर स्वयं के प्रशासनिक कार्यालय में तैनाती का अवैधानिक लाभ प्राप्त कर दबाव बनाने का प्रयास करता है। प्रार्थी द्वारा उक्त कर्मचारी के किसी भी प्रकार के दबाव को कभी भी नहीं माना गया जिससे उक्त कर्मचारी प्रार्थी से व्यक्तिगत रूप से रंजित मानता रहा है। शिकायतकर्ता धनजय कुमार

के शिकायती प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी की आख्या दिनांकित 20.12.2022 के पृष्ठ सं० 3 पर इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया के किसी भी लिखित आदेश के बिना उक्त पत्रावली सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया के न्यायालय परिसर में आने से पूर्व ही प्रशासनिक कार्यालय द्वारा लिपिक श्री अमित राठी के माध्यम से तलब कर ली गई थी।

F- मेरे द्वारा प्रत्येक मामले में वही आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत था। प्रश्नगत मामलों में प्रार्थी द्वारा न्यायालय की विधिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन तथ्यों एवं विधि का सम्यक निर्वचन करते हुए आदेश पारित किया गया। धनंजय कुमार के शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति प्रार्थी को दिनांक 16.12.2022 को सांयकाल प्राप्त करायी गयी थी, पर प्रार्थी द्वारा मय संलग्नक विस्तृत आख्या अपने पत्र दिनांकित 20.12.2022 के द्वारा सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित की गई **(एनेक्जर सं०-8)** जिसे सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित किया गया।

रिमार्क कॉलम के समर्थन में संलग्नक एनेक्जर सं० 7 जिसका संबंध कथित श्री अनुराग बंसल के शिकायती प्रार्थनापत्र जो माननीय उच्चतम न्यायालय प्रेषित किया गया, से है, जिसके संबंध में सादर अवगत कराना है कि -:

A- प्रश्नगत मामले के उक्त कथित शिकायती प्रार्थनापत्र को सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया के प्रशासनिक कार्यालय में सम्भवतः किसी ने सही से पढ़ा भी नहीं है। वास्तविक रूप से श्री अनुराग बंसल द्वारा कोई शिकायत प्रार्थी के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी। अपितु उक्त शिकायत उक्त मामले की अभियुक्ता शुभी जैन आदि द्वारा की गयी थी। उक्त मामले में मु०अ०सं० 250/2020 अंतर्गत धारा 420,467,468,471 व 120B भा०दं०सं० विरुद्ध अभियुक्तगण निशलंक जैन, शुभी जैन व ईशा जैन पंजीकृत हुआ था। अनुराग बंसल उक्त मामले का वादी मुकदमा है तथा प्रार्थी द्वारा अनुराग बंसल के विरुद्ध कभी भी कोई आदेश किसी भी मामले में पारित नहीं किया गया है।

B- उक्त प्रकरण के संबंध में सक्षेप में अवगत कराना है कि मामले के वादी अनुराग बंसल के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर पारित न्यायालय के आदेश के क्रम में पंजीकृत मु०अ०सं० 250/2020 में मामले के विवेचक द्वारा मामले के अभियुक्तगण आदि को गिरफ्तार न किया जाकर और वास्तविक रूप से कोई अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित न कर मूल मामले के वादी एवं अन्य के विरुद्ध मामले की अभियुक्ता द्वारा डी०आई०जी० को सम्बोधित प्रार्थनापत्र पर डी०आई०जी० के आदेश पर मु०अ० सं० 139/2021 मामले के वास्तविक वादी अनुराग बंसल के विरुद्ध पंजीकृत कर लिया था और उसे अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर प्रार्थी के समक्ष पेश किया गया था।

C- उक्त मामले में प्रार्थी के विस्तृत आदेश दिनांकित 09.07.2021 के द्वारा रिमाण्ड याचना को निरस्त किया गया। प्रार्थी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध मूल मामले की अभियुक्ता शुभी जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० सं० 16238/2021 शुभी जैन बनाम उ०प्र०राज्य संस्थित किया गया जिसमें पारित **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 24.03.2022 के द्वारा** मु०अ०सं० 250/2020 की अभियुक्ता व मु०अ०सं० 139/2021 की वादिया की उक्त याचिका को निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया, के **" The Order in question, passed by the learned lower court is based on proper consideraion, is a justifiable order and the order in question passed by the lower court concerned is justified, no material irregularity or impropriety or any error of procedure or jurisdiction is reflected in it. The argument of learned addional government advocate is also justified, therefore, the application of the applicant concerned to set a side the order in question, deserves to be cancelled and the order in question is confirmed. Accordingly this application is dismissed and the order in question passed by the lower court on 09.07.2021 is affirmed."** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से प्रार्थी द्वारा पारित आदेश को पुष्ट किया गया तथा अभियुक्ता शुभी जैन की याचिका को निरस्त किया गया।

D- मूल मामले की अभियुक्ता शुभी जैन द्वारा **प्रार्थी के उक्त आदेश के विरुद्ध ही माननीय सत्र न्यायालय में दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 234/2021 संस्थित किया गया था, जिसमें पारित माननीय सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित 03.08.2022 के द्वारा अभियुक्ता शुभी जैन का दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जा चुका है।**

E- मूल मामले की **अभियुक्ता शुभी जैन द्वारा प्रार्थी के आदेश दिनांकित 09.07.2021 व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 24.03.2022 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० (फौजदारी) डायरी सं० 28404/2022 शुभी जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य संस्थित किया गया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायमूर्तिगण की बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.10.2022 के द्वारा अभियुक्ता शुभी जैन की उक्त याचिका को निस्तारित/निरस्त किया जा चुका है।**

F- स्पष्ट है कि प्रार्थी के जिस आदेश के संबंध में उक्त कथित शिकायती प्रार्थनापत्र अभियुक्ता शुभी जैन आदि द्वारा प्रस्तुत किया गया है उक्त आदेश सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर से पुष्ट हो चुका है। उक्त मामले के अभियुक्तगण द्वारा बिना जमानत कराये स्वयं के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रार्थी के विधि सम्मत आदेश द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया तथा प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी आदेश को प्रार्थी के जनपद सहारानपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहने तक खंडित किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा पारित समस्त आदेश विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए पूर्णतः गुण- दोष पर पारित किये गये हैं। शिकायतकर्ता के उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी से वांछित आख्या/ टिप्पणियाँ प्रार्थी के पत्र दिनांकित 20.12.2022 के द्वारा सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित की जा चुकी है जिसमें समस्त वास्तविक तथ्यों का उल्लेख है, संलग्नक **(एनेक्जर सं०-09)**।

उक्त रिमार्क कॉलम में ही सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निर्णीत कन्टेस्टेड निर्णयों में किसी को भी दोषसिद्ध न किये जाने व विगत वर्षों में भी दोषसिद्ध न किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रार्थी द्वारा पारित 44 कन्टेस्टेड निर्णयों व उससे पूर्व के वित्तीय वर्षों में भी

पारित कन्टेस्टेड निर्णयों के विरुद्ध संस्थित किसी भी मामले में माननीय अपीलीय न्यायालय / माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अथवा किसी भी प्रवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी कन्टेस्टेड दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध कोई अपील न तो स्वीकार हुई है और न ही प्रार्थी के उक्त न्यायालय में कार्यरत रहने तक एक भी पत्रावली उक्त निर्णयों के विरुद्ध रिमांड होकर प्राप्त हुई है।

किसी भी मामले में दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्ति पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय की जाती है। प्रार्थी के द्वारा अपने संपूर्ण कार्यकाल में जितने भी निर्णय पारित किए गए वे समस्त निर्णय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के प्रकाश में गुण दोष पर किसी भी पक्षकार से किसी भी प्रकार से हितबद्ध हुए बिना पूर्ण सत्यनिष्ठा से पारित किए गए हैं, जो प्रार्थी की अधिकतम जानकारी में आज की तिथि तक अखंडित रहे हैं। किसी निर्दोष को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य ना हो, को अवैधानिक रूप से दोषसिद्ध कर दंडित कर देना न तो न्याय की मंशा है और ना ही ऐसा विधि का कोई प्राविधान कहता है। प्रार्थी द्वारा समस्त निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत तथा विधि का सम्यक निर्वचन करते हुए पारित किए गए हैं।

यह भी निवेदन करना है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय ने ऐसे किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया, जिसमें प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई निर्णय पारित किया गया हो जिसमें दोष मुक्ति के स्थान पर दोषसिद्ध किया जा सकता हो और ना ही सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं भी प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी कन्टेस्टेड निर्णय जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया हो, की अपील स्वीकृत करते हुए दोषसिद्ध किया गया हो, की कोई प्रति संलग्न की है। वास्तविक रूप से प्रार्थी की अधिकतम जानकारी में प्रार्थी द्वारा दोषमुक्त किये गये किसी भी निर्णय की कोई भी अपील न तो स्वीकृत हुई है और न ही पत्रावली रिमाण्ड हुई है। प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी निर्णय / आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील आदि में प्रार्थी की सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी भी प्रवर न्यायालय द्वारा कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

यह भी अनुरोध करना है कि प्रार्थी के न्यायालय में ऐसे मामले जिनमें अभियुक्तगण की दोषसिद्ध हो सकती थी और न्यायिक अभिरक्षा में लंबे समय तक निरुद्ध रहे, अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण ऐसे मामले कन्टेस्टेड रूप से निस्तारित नहीं हुए। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा अभियुक्तों से जुर्म इकबाल कराते हुए उनको दोष सिद्ध किया गया तथा प्रार्थी द्वारा जेल लोक अदालतों में संपूर्ण सहारनपुर जनपद में सबसे अधिक मामलों का निस्तारण करते हुए अभियुक्तगण को उनके जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र पर दोषसिद्ध किया गया जिसकी पुष्टि जिला सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण सहारनपुर द्वारा माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित विवरण पत्रों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मौजूद विवरण पत्रों व अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला कारागार प्रेषित सजायावी अधिपत्रों व जिनकी प्रति मूल पत्रावली पर मौजूद हैं, से की जा सकती है।

उक्त रिमार्क कॉलम में ही बिन्दु सं० 4 में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी की सामान्य प्रतिष्ठा के विरुद्ध तथ्य अंकित किये हैं जो कि वास्तविकता से परे हैं।

उक्त के संबंध में सादर निवेदन कराना है कि -:

A- प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं० 3590/Admin.(Services)/2019 दिनांकित 30.10.2019 के अनुपालन में दिनांक 06/11/2019 को पूर्वाह्न में जनपद सहारनपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण किया गया था। प्रार्थी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का दिसंबर 2019 में जनपद सहारनपुर आगमन हुआ तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर सहित 3 जनपदों का क्लस्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से बार के प्रतिनिधि व सम्मानित अधिवक्तागण व जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मिले। किसी ने भी प्रार्थी के संबंध में एक भी प्रतिकूल शब्द माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से नहीं कहा। तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2019-2020 की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्ट की जा चुकी है। यदि प्रार्थी की छवि खराब रही होती तो तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल कोई कार्यवाही अमल में लाई जा सकती थी।

B- वित्तीय वर्ष 2020- 2021 में दिनांक 13 मार्च 2021 को तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय व तत्कालीन माननीय महा निबंधक महोदय व तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के वैयक्तिक सचिव का जनपद सहारनपुर में सरकारी कार्यक्रम में आगमन हुआ। उनके द्वारा न्यायिक अधिकारी सभाकक्ष का वृहद जीर्णोद्धार पश्चात लोकार्पण किया गया। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय व माननीय महानिबंधक महोदय से पुलिस एवं प्रशासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेंट की गई। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय व माननीय महा निबंधक महोदय द्वारा न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया तथा बार के पदाधिकारियों, सम्मानित अधिवक्तागण व वादकारियों द्वारा मुलाकात की गई। प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की एक भी शिकायत किसी के भी स्तर से नहीं की गई। यदि ऐसा किया गया होता या प्रार्थी की छवि खराब रही होती तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के आगमन के पश्चात प्रार्थी का 1 मिनट के लिए भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के पद पर बने रहना संभव नहीं था। तत्कालीन वित्तीय वर्ष 2020-2021 में तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी।

C- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का दिनांक 11.10.2021 को राजकीय कार्यक्रम से जनपद सहारनपुर में आगमन हुआ तथा उनके द्वारा न्यायालय परिसर सहारनपुर में ई-सेवा केन्द्र का शुभारंभ किया गया। तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से बार के पदाधिकारीगण, सम्मानित अधिवक्तागण व पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण व वादकारियों आदि की मुलाकात हुई। किसी के द्वारा कोई भी लिखित अथवा मौखिक शिकायत नहीं की गयी जो प्रार्थी की सत्यनिष्ठा व आचरण के विरुद्ध रही हो। यदि ऐसा कोई तथ्य जिसमें आंशिक सत्यता भी रही होती, होता तो तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जाती और प्रार्थी को तत्काल पद से हटाया जा सकता था लेकिन ऐसा कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया। तत्कालीन सम्मानित जनपद

न्यायाधीश महोदय द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि में भी प्रार्थी के विरुद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है।

D- माननीय महोदय से यह भी सादर निवेदन करना है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में भी तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 06.10.2022 को जनपद सहारनपुर में आये। उनके द्वारा सर्किट हाउस में समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गयी। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के साथ तत्कालीन माननीय महानिबंधक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी आये। दोनो ही से पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बार के पदाधिकारियों व सम्मानित अधिवक्तागण द्वारा भी भेट की गयी व न्यायालय के कार्य संचालन से संबंधित वार्ता हुई, किन्तु बार के स्तर से अथवा पुलिस/ प्रशासन के स्तर से प्रार्थी के कार्य- व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी भी प्रकार की न तो कोई लिखित शिकायत और न ही कोई मौखिक शिकायत किसी के भी द्वारा न तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से और न ही तत्कालीन माननीय महानिबंधक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से की गयी। यदि किसी के द्वारा भी एक शब्द भी प्रार्थी के विरुद्ध कहा जाता तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के आगमन के पश्चात भी प्रार्थी का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर बने रहना संभव नहीं होता।

E- प्रार्थी लगभग 3 वर्ष 2 माह व 28 दिवस तक लगातार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर तैनात रहा तथा अपनी तैनाती के दौरान प्रार्थी द्वारा हजारों की संख्या में मामले निस्तारित किये गये। प्रार्थी के किसी भी आदेश के विरुद्ध सहारनपुर बार द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य स्थगन प्रस्ताव अथवा प्रार्थी के न्यायालय का कोई बहिष्कार आदि नहीं किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के समय स्थानीय बार द्वारा कुछ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्य बहिष्कार किया था। यदि प्रार्थी के कार्य- व्यवहार, आचरण तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही होती तो प्रार्थी लम्बे समय तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात नहीं रह सकता था।

F- यह भी सादर निवेदन करना है कि प्रार्थी द्वारा कभी भी किसी भी पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय को ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया कि प्रार्थी को लगातार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर बनाये रखा जाये। प्रार्थी का उक्त पद पर बने रहना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से ही संभव था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के संबंध में किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

उक्त रिमार्क कॉलम के बिन्दु 5 में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्रों व रिमाण्ड आदेशों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है तथा एनेक्जर के रूप में संलग्न किये गये आदेशों के संबंध में सादर निवेदन करना है कि :-

A- वाद सं० 2690/2019 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2022 का संबंध प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2021-2022 से संबंधित है जिसके संबंध में पूर्ववर्ती सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विगत वर्ष में ही वार्षिक प्रवृष्टि दी जा चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। उक्त टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय से भी पुष्ट हो चुकी है। उक्त आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायालय की विधिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त डा० राकेश मन्धोरिया के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 06.01.2021 के द्वारा उक्त मामले में माननीय सत्र न्यायालय के सिविल रिविजन संख्या 1067/2019 में पारित आदेश दिनांकित 02.12.2019 को निरस्त कर अभियुक्त को उसके प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 245(2) दं०प्र०सं० पर पुनः सुनकर आदेश पारित करने का निर्देश विचारण न्यायालय को निर्गत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के ही अनुपालन में विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया था। प्रार्थी की व्यक्तिगत जानकारी में उक्त आदेश आज की तिथि तक सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं अथवा किसी भी अन्य प्रवर न्यायालय द्वारा विधिक क्षेत्राधिकारिता में खण्डित नहीं किया गया है। उक्त आदेश के संबंध में किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार का कोई शिकायती प्रार्थनापत्र भी किसी भी स्तर पर प्रेषित किये जाने की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है।

B- इसी प्रकार संलग्न किये गये वाद सं० 12458/2022 में पारित आदेश दिनांकित 03.09.2022 व दण्ड वाद सं० 369/2018 में पारित आदेश दिनांकित 09.11.2022 व दण्ड वाद सं० 6136/2021 में पारित आदेश दिनांकित 21.11.2022 में भी प्रार्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायालय की विधिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के प्रकाश में विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए उक्त आदेश पारित किये गये हैं। प्रार्थी की व्यक्तिगत जानकारी में उक्त आदेश आज की तिथि तक सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं अथवा किसी भी अन्य प्रवर न्यायालय द्वारा विधिक क्षेत्राधिकारिता में खण्डित नहीं किये गये हैं। उक्त आदेशों के संबंध में किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार का कोई शिकायती प्रार्थनापत्र भी किसी भी स्तर पर प्रेषित किये जाने की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है।

C- इसी प्रकार वाद सं० 15064/2021 में पारित आदेश दिनांकित 11.01.2023 में अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संस्थित प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० संख्या 7540/2022 जाहिर अली बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.09.2022 के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उनमोचन प्रार्थनापत्र का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायालय की विधिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश में विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी की व्यक्तिगत जानकारी में उक्त आदेश आज की तिथि तक सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं अथवा किसी भी अन्य प्रवर न्यायालय द्वारा विधिक क्षेत्राधिकारिता में खण्डित नहीं किया गया है। उक्त आदेश के संबंध में भी किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार का कोई शिकायती प्रार्थनापत्र भी किसी भी स्तर पर प्रेषित किये जाने की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है।

D- इसी प्रकार मु० अ० सं० 531/2020 में पारित आदेश दिनांकित 12.12.2022 भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायालय की विधिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश में विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा अपने पत्र सं० 385/XV-2023 (सहारनपुर) दिनांकित 28.02.2023 को भी पृथक से संलग्न किया गया है जो सम्मानित महोदया द्वारा माननीय महा निबंधक महोदय को प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में वास्तविक तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख ऊपर किया जा चुका है तथा प्रार्थी की आख्या दिनांकित 20.12.2022 (एनेक्जर सं० -08) में विस्तार से उल्लेख है। प्रार्थी की व्यक्तिगत जानकारी में उक्त आदेश आज की तिथि तक सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा स्वयं अथवा किसी भी अन्य प्रवर न्यायालय द्वारा विधिक क्षेत्राधिकारिता में खण्डित किये जाने की कोई सूचना प्रार्थी को नहीं है।

E- वास्तविक रूप से प्रार्थी द्वारा न सिर्फ संलग्न किये गये मामलों में अपितु अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में पारित किसी भी आदेश व प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी रिमाण्ड आदेश/ उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश / दण्ड वादों में पारित अंतिम निर्णयों आदि, के संबंध में सादर निवेदन करना है कि प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त आदेश/निर्णय तथ्य एवं विधि का सम्यक निर्वचन करते हुए पारित किये गये है। उक्त आदेश प्रार्थी की अधिकतम जानकारी के अनुसार अखण्डित रहे है। उक्त आदेशों के संबंध में पुलिस / अभियोजन की ओर से भी कोई भी शिकायती प्रार्थनापत्र सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया को और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष/ राज्य की ओर से किसी भी मामले में कोई स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सत्यनिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया अथवा किसी भी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

F- प्रार्थी के विरुद्ध अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में वर्तमान तक किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही अथवा जांच अमल में नहीं लाई गयी है और न ही प्रार्थी के सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्व में किसी भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि में प्रस्तावित की गयी है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल आदेश प्रार्थी के कार्य-व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा के संबंध में पारित किया गया है और न ही प्रार्थी के किसी भी आदेश /निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी की अधिकतम जानकारी में माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर से कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।

G- न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय का कार्य किसी भी प्रकार के भय व पक्षपात से दूर रहकर विधि सम्मत आदेश पारित करना है। किसी भी न्यायिक आदेश में सामान्यतः कम से कम दो पक्ष अवश्य होते हैं जिसमें एक पक्ष के अनुकूल तथा एक पक्ष के प्रतिकूल आदेश होता है। विधिक प्रक्रिया में विक्षुभ पक्षकार उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत चुनौती दी जाती है। जो पक्षकार विधिक प्रक्रिया का अनुसरण न करते हुए अवैधानिक रूप से न्यायालय पर दबाव बनाकर अपने अनुकूल आदेश पारित कराने का प्रयास करते हैं, ऐसे पक्षकार शिकायतों का सहारा लेते हैं। प्रार्थी के विरुद्ध की गयी किसी भी शिकायत का कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं रहा है जिसमें प्रार्थी ने किसी भी पक्षकार से हितबद्ध होकर विधि के प्रतिकूल आदेश पारित किया हो। मेरे जैसे न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वह किसी भी प्रकार के भय, दबाव व प्रलोभन से प्रेरित होकर न्यायिक आदेश पारित करे। प्रार्थी ने पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य किया इसीलिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को लंबे समय तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया।

सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि के साथ प्रार्थी के जनपद सहारनपुर की सम्पूर्ण तैनाती काल की लगभग समस्त शिकायतों को संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है, जबकि वास्तविक रूप से इतने लम्बे कार्यकाल में जहाँ हजारों की संख्या में आदेश / निर्णय पारित किये गये हो वहाँ चार- छह व्यक्तियों का असंतुष्ट होना अस्वाभाविक नहीं है। जिन अस्तुष्ट व्यक्तियों द्वारा जिन आदेशों के संबंध में शिकायतें की भी गयी हैं, उक्त आदेश भी माननीय प्रवर न्यायालयों द्वारा विधिक क्षेत्राधिकारिया में न तो खंडित किये गये हैं और न ही किसी भी शिकायत में प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी सत्यता किसी भी स्तर से पायी गयी है।

स्पष्ट है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा उक्त के संबंध में जो निष्कर्ष व्यक्त किया गया है वह वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल है।

बिन्दु सं० 1(b) के संबंध में- सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा अंकित किया गया है कि - "He is not Fair and Impartial in dealing with public and Bar"

A- उक्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा बिन्दु सं० 1 में ही स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी लगातार 3 वर्ष 2 माह व 28 दिवस तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर रहा। बार के स्तर से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी स्तर पर नहीं की गयी है। बार का सदैव सहयोग प्रार्थी को मिला। प्रार्थी के कार्यकाल में दो माननीय मुख्य न्यायमूर्तिगण महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व तीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्तिगण महोदय व दो माननीय महानिबंधक महोदय , माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, का जनपद सहारनपुर में राजकीय कार्य से आगमन हुआ। उनसे बार व पुलिस/ प्रशासन के अधिकारियों, सम्मानित अधिवक्तागण, वादकारियों आदि से मुलाकात की गई। न्यायालय भ्रमण के समय आम जनता भी न्यायालय में मौजूद रहीं। यदि प्रार्थी जनता व स्थानीय बार के साथ निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं रखता तो प्रार्थी इतने लम्बे समय तक बिना किसी पुष्ट शिकायत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद को धारित नहीं रख सकता था।

B- यह भी निवेदन करना है कि जहाँ एक ओर सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा उक्त टिप्पणी अंकित की गयी है वही बिन्दु सं० 1(c) में यह अंकित किया गया है कि " He is Cool " तथा बिन्दु सं० 01(i) में " Relation with member of the Bar " के कॉलम में Good अंकित किया गया है। स्पष्ट है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया का उक्त निष्कर्ष स्वयं में विरोधाभासी है। प्रार्थी ने पूर्ण निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी मामले में आदेश पारित किये हैं तथा प्रार्थी द्वारा पारित लगभग शत-प्रतिशत आदेश (अपवादों को छोड़कर) ही प्रवर न्यायालयों द्वारा रिमाण्ड अथवा खण्डित किये गये हैं। यहाँ यह भी अनुरोध करना है कि विधिक पदसोपानिक व्यवस्था में माननीय प्रवर न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में परिवर्तन / निरस्तीकरण / पुष्ट करना आदि के अधिकार प्राप्त हैं तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों के आदेश माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आदि से परिवर्तित होना व माननीय सत्र न्यायालय के आदेश माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय से परिवर्तित होना विधिक प्रक्रिया का एक अंग है। किसी भी मामले में आदेश परिवर्तित

होने मात्र से भी किसी भी अधिकारी की सत्यनिष्ठा को खंडित नहीं माना जा सकता है। किसी भी मामले में कोई भी अधिकारी किसी भी पक्षकार को खुश करने के लिये मनमाना आदेश पारित नहीं कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयों का कार्य किसी को खुश करने मात्र के लिये आदेश पारित करना नहीं है।

C- सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के कार्य व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा के संबंध में एक भी अर्धशासकीय पत्र अथवा नोटिस प्राप्त नहीं कराया गया और न ही मौखिक रूप से किसी भी मामले के संबंध में प्रार्थी के आचरण के संबंध में कोई प्रतिकूल कथन कहे गये है।

D- सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में किसी भी माह की मासिक बैठक में प्रार्थी के कार्य- व्यवहार एवं आचरण तथा सत्यनिष्ठा के संबंध में एक भी प्रतिकूल कथन अंकित नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी की सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल दिशानिर्देश जारी किया गया है।

E- सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में अनुश्रवण समिति की किसी भी बैठक में पुलिस अथवा प्रशासन के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रार्थी की सत्यनिष्ठा के संबंध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य कभी भी नहीं कहा गया और न ही सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी प्रार्थी की सत्यनिष्ठा के संबंध में भी कोई भी प्रतिकूल कथन कभी भी किसी भी स्तर पर कहा गया।

F- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माह सितंबर 2022 में कार्यभार ग्रहण किया गया तथा उक्त वित्तीय वर्ष में माह सितंबर 2022 से माह मार्च 2023 तक मात्र लगभग 7 महीने कार्य किया है, जिसमें वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ प्रार्थी का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यकाल लगभग साढ़े पांच महीने का ही रहा है जिसमें सम्मानित महोदय द्वारा स्वयं एक भी अर्धशासकीय पत्र अथवा नोटिस प्रार्थी की सत्यनिष्ठा आदि के संबंध में कभी भी जारी नहीं किया गया और न ही मौखिक रूप से विश्राम कक्ष में बुलाकर प्रार्थी की सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दिशा-निर्देश निर्गत किया गया।

G- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2023 से दिनांक 31.03.2023 तक लगभग एक माह 24 दिवस लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर के रूप में भी कार्य किया गया। सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के लघुवाद न्यायाधीश के रूप में किये गये कार्य के संबंध में भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, जबकि प्रार्थी ने उक्त न्यायालय में उक्त सक्षिप्त अवधि में भी अत्यधिक कार्य निष्पादित किया गया।

H- वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्ववर्ती सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद सहारनपुर में लगभग एक वर्ष पांच माह व उक्त से पूर्ववर्ती सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय लगभग एक वर्ष चार माह व उक्त से पूर्ववर्ती सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय का भी कार्यकाल रहा। वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व प्रार्थी के जनपद सहारनपुर में तैनाती के दौरान तीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय कार्यरत रहे जिनमें दो सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय का कार्यकाल वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यकाल से दुगने से भी अधिक रहा है। किसी भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के कार्य व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा व प्रार्थी के बार व वादकारियों के साथ संबंध के बारे में किसी भी स्तर पर कभी भी न तो लिखित और न ही मौखिक रूप से कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गयी।

रिमार्क कॉलम के बिन्दु सं० 1 (f) में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंकित किया गया है कि- " Judgements passed by the officer are neither sound nor well reasoned, although language expressed is good" व कॉलम सं० 01(f) (i) व कॉलम सं० 01(f) (ii) व कॉलम सं० 01(f) (iii) के संबंध में विनम् निवेदन करना है कि -:

A- सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपनी उक्त टिप्पणियों में प्रार्थी की भाषा सही होने का स्वयं उल्लेख किया है। सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने रिमार्क के कॉलम सं० 01(e)(vi) में Are cases remanded or substantial grounds-NIL अंकित किया है। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पारित कोई भी निर्णय/आदेश सन्तोषजनक आधार पर रिमाण्ड नहीं हुआ है।

B- रिमार्क कॉलम के बिन्दु सं० 01(f) (i) में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा Marshalling of facts- Good अंकित किया है। जो स्पष्ट करता है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के कथनानुसार तथ्यों का व्यवस्थीकरण अच्छा किया गया है। स्पष्ट है कि जब प्रार्थी द्वारा सही भाषा के साथ तथ्यों का सही तरीके से व्यवस्थीकरण /प्रस्तुतीकरण किया गया है। ऐसी दशा में साक्ष्य और विधि का प्रस्तुतीकरण गलत नहीं हो सकता है।

C- प्रार्थी द्वारा न सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पारित किसी भी निर्णय अपितु वर्ष 2022-2023 से पूर्व सहारनपुर तैनाती के सम्पूर्ण कार्यकाल में पारित किसी भी निर्णय को न तो स्वयं वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा रिमाण्ड किये जाने की कोई जानकारी प्रार्थी को है और न ही वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्ववर्ती किसी भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी द्वारा पारित किसी भी निर्णय के विरुद्ध न तो कोई अपील स्वीकार की गयी न कोई निर्णय रिमाण्ड किया गया और न ही प्रार्थी द्वारा किसी भी निर्णय में दोष मुक्त किये गये किसी भी अभियुक्त को अपील में दोष सिद्ध किया गया। स्पष्ट है कि यदि प्रार्थी द्वारा विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए न्यायिक सदविवेक से निर्णय पारित नहीं किये जाते तो ऐसा संभव नहीं होता। वास्तविक रूप से प्रार्थी द्वारा समस्त निर्णय /आदेश पूर्ण सत्यनिष्ठा से विधि एवं तथ्यों का सम्यक निर्वचन करते हुए पूर्णतः न्यायिक सदविवेक का प्रयोग करते हुए विधिक क्षेत्राधिकारिता में पारित किये गये है जो सामान्यतः अखण्डित रहे हैं।

D- पूर्ववर्ती किसी भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी उक्त कॉलम के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

रिमार्क कॉलम के बिन्दु सं० 01(h) में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंकित किया गया है कि- " In Complianced of rule 185 (ii and iii) of the genral rule (criminal) (Annexure-10), Annual inspections of magisterial courts have not been sent to the district and sessions judge. Administrative capacity is not found Good (Annexure -11)"

A- उक्त के संबंध में सादर निवेदन है कि सामान्य नियमावली (दाण्डक) के उक्त प्राविधान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालयों के वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण किये जाने का प्राविधान है। सामान्यतः उक्त निरीक्षण वित्तीय वर्ष के अन्त में माह फरवरी एवं मार्च में किये जाते हैं। प्रार्थी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के पद पर रहते हुए प्रार्थी के प्रकीर्ण आदेश दिनांकित 20.01.2023 के द्वारा समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के वार्षिक निरीक्षण की तिथियाँ नियत की गयी थी जिसके अनुसार प्रथम निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम का किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु जनपद सहारनपुर में तैनात तत्कालीन लघुवाद न्यायाधीश का प्रमोशन हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं० 411/Admin.(Services)/2023 दिनांकित 02.02.2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानांतरण न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश सहारनपुर के पद पर हो गया तथा सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मौखिक रूप से दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2023 को अपराह्न में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर का पदभार छोड़कर उसी तिथि पर अपराह्न में ही न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर का पदभार ग्रहण किया गया। ऐसी दशा में प्रार्थी पूर्व निर्धारित कार्यमानुसार उक्त वित्तीय वर्ष में मजिस्ट्रेट न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण नहीं कर सका और निरीक्षण आख्या सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित नहीं की जा सकी। उक्त में प्रार्थी के स्तर से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

B- प्रार्थी के सम्पूर्ण कार्यकाल में सहारनपुर जजशिप में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य संचालन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय के विरुद्ध स्थानीय बार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य बहिष्कार आदि नहीं किया गया। प्रार्थी के सहारनपुर के सम्पूर्ण कार्यकाल में दो माननीय मुख्य न्यायमूर्तिगण महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, तीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्तिगण महोदय जनपद सहारनपुर, माननीय न्यायमूर्तिगण, माननीय उच्च इलाहाबाद, दो माननीय महानिबंधक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति महोदय सहित अनेक न्यायमूर्तिगण का आगमन हुआ। प्रार्थी द्वारा अपनी प्रशासनिक दक्षता के द्वारा ही उक्त समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी आगमन को व्यवस्थित रूप से संपादित कराया गया तथा कभी भी किसी भी स्तर पर कोई चूक अथवा त्रुटि किसी भी मामले में कारित नहीं हुई है।

C- सम्पूर्ण कोरोना काल में भी प्रार्थी ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात था तथा कोरोना काल में न सिर्फ प्रार्थी के न्यायालय में अपितु समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय व तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदयगण के आदेशों का सम्यक पालन पूर्ण प्रशासनिक दक्षता के साथ किया गया तथा किसी भी स्तर पर कभी भी कोई त्रुटि कारित नहीं हुई।

D – प्रार्थी के सम्पूर्ण कार्यकाल में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदयगण के लिखित व मौखिक आदेशों का सम्यक अनुपालन समयबद्ध सुनिश्चित किया गया। किसी भी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अनुपालन न किये जाने हेतु तलब नहीं किया गया और न ही सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के स्तर से ही किसी भी आदेश का अनुपालन न किये जाने के संबंध में न तो कभी तलब किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस कभी भी निर्गत किया गया।

E- उक्त समस्त तथ्य प्रार्थी की प्रशासनिक दक्षता को स्वतः स्पष्ट करते हैं। वर्तमान सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लगभग सात माह के संक्षिप्त कार्यकाल के पूर्ववर्ती सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदयगण द्वारा प्रार्थी की प्रशासनिक दक्षता के संबंध में कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

रिमार्क कॉलम के बिन्दु सं० 01(m) में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंकित किया गया है कि-” Oral directions of District Judge to maintain integrity has not been followed by the Officer. Hence, not amenable to District Judge.”

उक्त के संबंध में सादर निवेदन करना है कि-

A- सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके किस मौखिक निर्देश की अवहेलना प्रार्थी द्वारा की गयी।

B- प्रार्थी के सम्पूर्ण कार्यकाल में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के लिखित व मौखिक आदेशों का सम्यक अनुपालन समयबद्ध सुनिश्चित किया गया है। किसी भी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अनुपालन न किये जाने हेतु तलब नहीं किया गया और न ही सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के स्तर से ही किसी भी आदेश का अनुपालन न किये जाने के संबंध में न तो कभी तलब किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस कभी भी निर्गत किया गया।

C- वास्तविक रूप से सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी की सत्यनिष्ठा अथवा कार्यव्यवहार व आचरण के संबंध में और न ही पदीय कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित किसी भी प्रकरण में कभी भी किसी भी मामले को लेकर न तो लिखित में और न ही मौखिक रूप से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दिशा-निर्देश निर्गत किया गया जिसका पालन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया हो। प्रार्थी ने सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय के समस्त लिखित / मौखिक निर्देशों का पालन किया है।

D- वास्तविक रूप से सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यदि कोई ऐसा दिशा- निर्देश किसी भी मामले में प्रार्थी को दिया गया होता और प्रार्थी द्वारा उक्त का पालन नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से लिखित में अर्द्धशासकीय पत्र अथवा नोटिस निर्गत किया जाता, किन्तु वास्तविक रूप से सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अर्द्धशासकीय पत्र अथवा नोटिस प्रार्थी की सत्यनिष्ठा अथवा किसी भी आदेश / निर्देश को न मानने के संबंध में निर्गत नहीं किया गया है।

रिमार्क कॉलम के बिन्दु सं० 4 में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंकित किया गया है कि -" The Officers holds the post of Chief Judicial Magistrate for more then three years contniously, but he was not carrying good reputaion"

उक्त के संबंध में पुनः सादर निवेदन करना है कि :-

A- प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं० 3590/ Admin. (Services) /2019 दिनांकित 30.10.2019 के अनुपालन में दिनांक 06/11/2019 को पूर्वाह्न में जनपद सहारनपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण किया गया था। प्रार्थी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय दिसंबर 2019 में जनपद सहारनपुर आए तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर 3 जनपदों का क्लस्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से बार के प्रतिनिधि व सम्मानित अधिवक्तागण व जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मिले किसी ने भी प्रार्थी के संबंध में एक भी प्रतिकूल शब्द माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से नहीं कहा। तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2019-2020 की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई। यदि प्रार्थी की छवि खराब रही होती तो तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती।

B- वित्तीय वर्ष 2020- 2021 में दिनांक 13 मार्च 2021 को तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय व तत्कालीन माननीय महा निबंधक महोदय व तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के वैयक्तिक सचिव जनपद सहारनपुर का राजकीय कार्य से आगमन हुआ। उनके द्वारा न्यायिक अधिकारी सभाकक्ष का वृहद जीर्णोद्धार पश्चात लोकार्पण किया गया। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय व माननीय महा निबंधक महोदय से पुलिस एवं प्रशासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेंट की गई। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय व माननीय महा निबंधक महोदय द्वारा न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया तथा बार के पदाधिकारियों व सम्मानित अधिवक्तागण व न्यायालय परिसर में मौजूद वादकारियों द्वारा वृहद मुलाकात की गई। प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की एक भी शिकायत किसी भी स्तर से नहीं की गई। यदि ऐसा किया गया होता या प्रार्थी की छवि खराब रही होती तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के आगमन के पश्चात प्रार्थी का 1 मिनट के लिए भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर बने रहना संभव नहीं था। तत्कालीन वित्तीय वर्ष में तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

C- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का दिनांक 11.10.2021 को राजकीय कार्यक्रम से जनपद सहारनपुर में आगमन हुआ तथा उनके द्वारा न्यायालय परिसर सहारनपुर में ई -सेवा केन्द्र का शुभारंभ किया गया। तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से बार के पदाधिकारीगण व सम्मानित अधिवक्तागण व पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण की मुलाकात हुई। किसी के द्वारा भी कोई लिखित अथवा मौखिक शिकायत नहीं की गयी जो प्रार्थी की सत्यनिष्ठा व आचरण के विरुद्ध रही हो। यदि ऐसा कोई तथ्य जिसमें आंशिक सत्यता भी रही होती, होता तो तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जाती और प्रार्थी को तत्काल पद से हटाया जा सकता था लेकिन ऐसा कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया। तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि में भी प्रार्थी के विरुद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है।

D- माननीय महोदय को यह भी सादर अवगत कराना है वित्तीय वर्ष 2022-2023 में भी तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 06.10.2022 को जनपद सहारनपुर में आये। उनके द्वारा सर्किट हाउस में समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गयी। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के साथ तत्कालीन माननीय महानिबंधक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी आये। दोनो ही से पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बार के पदाधिकारियों व सम्मानित अधिवक्तागण द्वारा भी भेंट की गयी व न्यायालय के कार्य संचालन से संबंधित वार्ता हुई, किन्तु बार के स्तर से अथवा पुलिस / प्रशासन के स्तर से प्रार्थी के कार्य- व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी भी प्रकार की न तो कोई लिखित शिकायत और न ही कोई मौखिक शिकायत किसी के भी द्वारा न तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से और न ही तत्कालीन माननीय महानिबंधक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से की गयी। यदि किसी के द्वारा एक शब्द भी प्रार्थी के विरुद्ध कहा जाता तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के आगमन के पश्चात भी प्रार्थी का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर बने रहना संभव नहीं होता।

E- प्रार्थी लगभग 3 वर्ष 2 माह व 28 दिवस तक लगातार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर तैनात रहा तथा अपनी तैनाती के दौरान प्रार्थी द्वारा हजारों की संख्या में मामले निस्तारित किये गये। प्रार्थी के किसी भी आदेश के विरुद्ध सहारनपुर बार द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य स्थगन प्रस्ताव अथवा प्रार्थी के न्यायालय का कोई बहिष्कार आदि नहीं किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के समय स्थानीय बार द्वारा दो न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्य बहिष्कार किया था। यदि प्रार्थी के कार्य-व्यवहार, आचरण तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही होती तो प्रार्थी लम्बे समय तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात नहीं रह सकता था।

F- यह भी सादर निवेदन करना है कि प्रार्थी द्वारा कभी भी किसी भी पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय को ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया कि प्रार्थी को लगातार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर बनाये रखा जाये। प्रार्थी का उक्त पद पर बने रहना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से ही संभव था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के संबंध में किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

G- प्रार्थी के विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही अथवा जांच अमल में नहीं लाई गयी है और न ही प्रार्थी के सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्व में किसी भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी प्रकार की

कोई प्रतिकूल टिप्पणी वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि में प्रस्तावित की गयी है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल आदेश प्रार्थी के कार्य-व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा के संबंध में पारित किया गया है और न ही प्रार्थी के किसी भी आदेश/निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी की अधिकतम जानकारी में माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर से कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।

H- न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय का कार्य किसी भी प्रकार के भय व पक्षपात से दूर रहकर विधि सम्मत आदेश पारित करना है। सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि के साथ प्रार्थी के जनपद सहारनपुर की सम्पूर्ण तैनाती काल की लगभग समस्त शिकायतों को संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है जबकि वास्तविक रूप से इतने लम्बे कार्यकाल में जहाँ हजारों की संख्या में आदेश पारित किये गये हो वहाँ चार- छह व्यक्तियों का असंतुष्ट होना अस्वाभाविक नहीं है। जिन असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा जिन आदेशों के संबंध में शिकायतें की भी गयी है, उक्त आदेश भी माननीय प्रवर न्यायालयों द्वारा विधिक क्षेत्राधिकारिता में न तो खंडित किये गये हैं और न ही किसी भी शिकायत में प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी सत्यता किसी भी स्तर से पायी गयी है।

स्पष्ट है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा उक्त के संबंध में जो निष्कर्ष व्यक्त किये गये हैं वह वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल है।

अग्रेतर निवेदन है कि -

1- प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निर्धारित लक्ष्य 1200 यूनिट के सापेक्ष कुल 3,4033.49 यूनिट कार्य किया है जिसमें से 3,143.07 यूनिट कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य करते हुए तथा लघुवाद न्यायाधीश की अति संक्षिप्त अवधि लगभग 1 माह 24 दिवस में 290.42 यूनिट कार्य किया है।

2- प्रार्थी द्वारा पांच वर्ष से अधिक प्राचीन 475 दण्डवाद तथा 28 लघुवाद / सिविल वाद निस्तारित किये गये।

3- प्रार्थी द्वारा दस वर्ष से अधिक प्राचीन 268 दण्डवाद तथा 16 लघुवाद / सिविल वाद निस्तारित किये गये।

4- प्रार्थी द्वारा वर्ष 2000 व उससे पूर्व के 101 फौजदारी वादों का निस्तारण किया गया है।

5- प्रार्थी द्वारा लघुवाद न्यायाधीश की संक्षिप्त अवधि में 11 निष्पादन वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें वर्ष 1976 का 01, वर्ष 1977 का 01 व वर्ष 1980 का 01 निष्पादन वाद निस्तारित किया गया।

6- प्रार्थी द्वारा मुख्य राष्ट्रीय लोक अदालतों व जेल लोक अदालतों में भी सर्वाधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया गया। प्रार्थी द्वारा किये गये निस्तारण व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से अन्य समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के उत्कृष्ट पर्यवेक्षण के कारण राष्ट्रीय लोक अदालतों व जेल लोक अदालतों आदि में जनपद सहारनपुर सदैव प्रथम दस स्थानों में रहा है।

7- प्रार्थी द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व के कुल 03 वाद निस्तारित किये गये हैं, जिनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं० 164/Admin.(Services)/2018 दिनांकित 23.03.2018 के अनुपालन में प्रार्थी विशेष प्रवृष्टि पाने का भी अधिकारी है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि प्रार्थी की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा की गयी समस्त प्रतिकूल टिप्पणियों को सही कर प्रार्थी का आकलन प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य के आधार पर करने हेतु प्रार्थी का प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय / माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थी माननीय महोदय का जीवन पर्यन्त आभारी रहेगा।

आदर सहित।

भवदीय

(अनिल कुमार-XI)

लघुवाद न्यायाधीश

कानपुर नगर।